सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) **(Government of India : Ministry of Home Affairs)**

हैदराबाद रू **Hyderabad– 500 052.**

Inter Office Note

Sub : **Notified Recruitment Rules for the post of Chief Drill Instructor**

A copy of Notified Recruitment Rules for the post of Chief Drill Instructor is enclosed herewith for uploading the same in the Academy Website under Recruitment Column.

Encls : As above.

(Dr. K. Madhukar Shetty)
Deputy Director (Estt)

Assistant Director (IT)

No. 19011/01/2009-Estt /RRs/A5/CDI

Dated: 3-08.2018

(ख) स्तंभ (11) में,–

(i) शब्दों और अंकों में और अक्षरों में " वेतने बैंड 2 रू0 9,300 – 34,800 और ग्रेड वेतने रू0 4,600" शब्द और अंक "वेतन मैट्रिक्स (रु. 44900 – 1,42,400)" में स्तर–7 रखे जाएगें;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. क/कार्मिक/संशोधन आर आर/ एसएम (बी एवं आर)/2018]

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II धारा 3, उप–धारा (i) में तारीख 5 दिसम्बर 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 225 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 26th June, 2018

G.S.R. 204.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 165 of the Assam Rifles Act, 2006 (47 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Assam Rifles Subedar Major (Buildings and Roads) (Engineers) Group 'B' Post (combatised) Recruitment Rules, 2015, namely:-

1. (1) These rules may be called the Assam Rifles Subedar Major (Buildings and Roads) (Engineers) Group 'B' Post (Combatised) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Assam Rifles Subedar Major (Buildings and Roads) (Engineers) Group 'B' post (combatised) Recruitment Rules, 2015 (herein after referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely;-

"2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.- The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules".

3. In the said rules, in the Schedule,-

(A) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix
(4)
Level-8 (Rs. 47600-151100)";

(B) in column (11),-

(i) for the words, figures and letters "Pay Band 2, Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4600", the words, figures and letters "level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)" shall be substituted;

(ii) Note 2 shall be omitted.

[F.No. A/Pers/Amdt RRs/SM (B&R)/2018]

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* notification number G.S.R 225 dated the 5th December, 2015.

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

सा.का.नि. 205.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद मुख्य कवायद अनुदेशक भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में मुख्य कवायद अनुदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (मुख्य कवायद अनुदेशक) भर्ती नियम, 2018 है।

2. ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उस कारण को लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती हेतु आयु–सीमा	सीधे भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मुख्य कवायद अनुदेशक।	1* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (रू. 56100–177500)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)	**प्रतिनियुक्ति** (अल्पकालिक संविदा सहित) – कैंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों

			या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत आने वाले अधिकारी– क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे ; या (ii) नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वह भी मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर–8 (रू. 47600–151100) या समतुल्य में नियमित आधार पर हो ; और ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव होना चाहिए – (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक; और (ii) योजना, समन्वयन तथा बहिरंग प्रशिक्षण गतिविधियाँ आयोजित करने में अनुभव सहित किसी भी केन्द्रीय या राज्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों या संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने में कवायद अनुदेशक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पण – 1** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण – 2** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं. 23011/119/2012–पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 29th June, 2018

G.S.R. 205.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Chief Drill Instructor) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Drill Instructor in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Chief Drill Instructor) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix. -**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may in consultation with the Union Public Service Commission by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Chief Drill Instructor.	1* (2018) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500).

Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union Territory Administration or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research institution,– (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-8 in the	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent, in the parent cadre or department; and (b) possessing the following education qualifications and experience– (i) degree of a recognised university; and (ii) three years experience as Drill Instructor imparting training in any Central or State Police Training Centres or Institutions, including experience of planning, co-ordinating and conducting outdoor training activities. **Note 1 :** Period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2 :** The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F.No. 23011/119/2012-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 206.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद **309** के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में ज्येष्ठ अनुदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर (ज्येष्ठ अनुदेशक) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या ये विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।